सत्यमेव जयते

देवस्थान विभाग,राजस्थान

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

-: अनुक्रमणिका :-

भाग सं.	विवरण		पृष्ठ संख्या
भाग—1	विभागीय परिचय, कार्य-कलाप, उद्देश्य एवं प्रतिबद्धतायें, विभाग के पर्यवेक्षणाधीन/अनुदानित मंदिर, प्रन्यास, धर्मशालायें व परिसंपत्तियाँ	:	**3 से 7**
भाग—2	देवस्थान विभाग की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था	:	**8 से 11**
भाग—3	देवस्थान विभाग से सम्बंधित प्रमुख नियम/अधिनियम	:	**12 से 13**
भाग—4	देवस्थान विभाग का बजट प्रावधान और विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण	:	**14 से 24**
भाग—5	देवस्थान विभाग द्वारा किये गए विकास कार्य एवं अर्जित प्रमुख उपलब्धियों का विवरण	:	**25 से 29**
भाग—6	देवस्थान विभाग द्वारा संचालित तीर्थ यात्रा योजनायें	:	**30 से 36**
भाग—7	देवस्थान विभाग द्वारा मेलों एवं कार्यक्रमों का आयोजन		**37 से 38**
भाग—8	देवस्थान विभाग द्वारा विभागीय संपदाओं का प्रबंध एवं अनुरक्षण	:	**39 से 42**
भाग—9	मंदिरों व धर्मस्थलों के लिए सहायता अनुदान तथा शाश्वत वार्षिकी का भुगतान	:	**43 से 44**
भाग—10	सार्वजनिक प्रन्यासों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं नियमन	:	**45 से 47**
	सम्पर्क सूत्र	:	**48 से 49**

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

भाग— 1

विभागीय परिचय, कार्य-कलाप, उद्देश्य एवं प्रतिबद्धतायें

-:विभागीय परिचय:-

देवस्थान विभाग मन्दिर संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन का विभाग है। इस विभाग का गठन भूतपूर्व राजपूताना राज्य की छोटी-बडी 22 रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात, पूर्व देशी राज्यों द्वारा राजकोष के माध्यम से संचालित मन्दिरों, मठों, धर्मशालाओं आदि के प्रबंधन एवं सुचारू संचालन हेतु वर्ष 1949 में बने वृहत् राजस्थान राज्य के साथ-साथ हुआ.

राजस्थान का गौरवशाली अतीत पूर्व शासकों की धार्मिक निष्ठा एवं धर्म पालन के बलिदानों के लिए विख्यात है। देशी राज्यों के अनेक शासकों ने रियासत का राजा स्वयं को नहीं मानकर अपने इष्ट देवता के नाम की मोहरें एवं राजपत्र में अंकित मुद्राओं से शासन किया। ऐसे में राजस्थान के राजाओं और राजकुलों ने विपुल संख्या में मंदिरों, धार्मिक स्थलों और धर्मशालाओं का न केवल राजस्थान में निर्माण कराया अपितु राज्य के बाहर भी अनेक मन्दिर एवं धर्म स्थलों का निर्माण कराया है ,

विभिन्न तीर्थ स्थलों पर बने राज्य के मन्दिर एवं पूजा स्थल मध्यकाल से ही धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों के केन्द्र रहे हैं। इनके माध्यम से ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, संगीत, शिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला, लोकगीत, भजन, नृत्य परम्परा आदि का संरक्षण, प्रसार एवं प्रशिक्षण होता रहा है। इस प्रक्रिया में अनेक धर्मज्ञ विद्वानों, निराश्रितों, विद्यार्थियों, साधु-संतों को सहयोग, प्रोत्साहन एवं संरक्षण भी मिलता रहा है। समय के अनुरूप सामाजिक परिवर्तनों के उपरान्त भी ये मन्दिर एवं पूजा स्थल आज भी धार्मिक सौहार्द व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्राचीन स्थापत्य कला, शिल्पकला व चित्रशालाओं के ये अनूठे भण्डार अर्वाचीन भारत की अमूल्य निधि है। नवीन राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात इस विपुल मन्दिर संपदा के प्रबंध व संरक्षण का उत्तरदायित्व वर्तमान देवस्थान विभाग के पास है।

वर्तमान देवस्थान विभाग विरासत में प्राप्त ऐसी ही धार्मिक एवं पुण्य प्रयोजनार्थ स्थापित संस्थाओं एवं राजकीय मन्दिरों, मठों, लोक प्रन्यासों का नियमन करने, उनके प्रशासन हेतु मार्गदर्शन देने, उन्हें आर्थिक सहयोग देने जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

प्रारंभिक वर्षों में देवस्थान विभाग की पहचान मात्र मन्दिरों की सेवा-पूजा और उनकी सम्पत्ति के प्रबंधकर्ता विभाग की रही है, किन्तु कालांतर में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विभागीय कार्यकलापों का विस्तार किया गया तथा नवीन दायित्व सौंपे गये।

ऐसे ही राज्य गठन के एक दशक के बाद ही नवीन आवश्यकताओं के अनुसार राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 अस्तित्व में आया और इसके साथ ही न्यासों का पंजीकरण, शिकायतों की जांच और उनके पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया.

इसी प्रकार भूमि सुधार कार्यक्रमों के फलस्वरूप मन्दिरों / मठों की भूमियों के पुन: ग्रहण के पश्चात निर्धारित वार्षिकी के भुगतान तथा मन्दिरों / संस्थाओं का सहायता अनुदान स्वीकृत करने के कार्यकलाप भी इस विभाग के कार्यक्षेत्र में विस्तारित हुए है।

समय के साथ राज्य सरकार द्वारा विभाग का बजट बढ़ाया गया है, मन्दिरों एवं संस्थाओं के अनुरक्षण एवं जीर्णोद्धार हेतु बड़ी परियोजनाएँ बनाई और क्रियान्वित की गयी हैं, विभागीय मन्दिरों एवं संस्थाओं ही नहीं, ट्रस्ट द्वारा संचालित व अन्य धर्म-स्थलों का भी विकास किया गया है, मंदिर परिसर ही नहीं, सड़क, ड्रेनेज, यात्री विश्राम स्थल आदि सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भी प्रचुर व्यय किया गया है. शासन की नवीन नीति में तीर्थाटन एवं देशाटन को बढावा देने हेतु नयी योजनाएँ बनाई गयी हैं. राज्य के तीर्थयात्रियों को राज्य से बाहर तीर्थयात्रा की अनेक योजनाएँ संचालित हैं, जिसमें भारत के विभिन्न पर्यटन व तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा व्यवस्था की जाती है.

विभागीय कार्य-कलाप, उद्देश्य एवं प्रतिबद्धताएं

देवस्थान विभाग द्वारा मुख्यतया निम्नांकित कार्य संपादित किये जाते है:-

- राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार (Direct Charge), राजकीय आत्म निर्भर (Self-Supporting) एवं सुपुर्दगी (Handed Over) श्रेणी के मंदिरों एवं धार्मिक संस्थानों की संपदाओं का प्रबन्ध एवं नियंत्रण व पूजा, नैवेद्य, आरोगण, उत्सव आदि की व्यवस्था।
- राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 एवं नियम- 1962 के अन्तर्गत पंजीयन योग्य सार्वजनिक प्रन्यासों का पंजीकरण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण संबंधी कार्य।
- मंदिरों, धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थाओं को सहायतार्थ नकद अनुदान राशि का भुगतान तथा तत्सम्बन्धी नियंत्रण।
- मंदिरों एवं धार्मिक तथा पुण्यार्थ संस्थाओं आदि की माफी व जागीरों के पुनर्ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप जागीर विभाग द्वारा निश्चित की गई शाश्वत वार्षिकी का प्रतिवर्ष राजस्व अधिकारियों द्वारा निश्चित किश्तों में भुगतान एवं नियंत्रण।
- प्रमुख राजकीय धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों पर यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं व विश्रान्तिगृहों का निर्माण एवं उनके संरक्षण व संचालन की व्यवस्था करना तथा उनके विकास की योजनायें क्रियान्वित करना।

- मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के वंश-परंपरागत नियुक्त महन्तों, पुजारियों, मठाधीशों आदि के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना व तत्सम्बन्धी कार्यवाही।
- राजकीय मंदिरों के बहुमूल्य जेवरात व अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन व सत्यापन करना।
- धर्मार्थ एवं पुण्यार्थ कृत्यों हेतु आयोजित होने वाले मेलों, उत्सवों, यज्ञ इत्यादि को प्रोत्साहन देना एवं राजकीय मंदिरों में धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करना।
- मंदिर संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा राजस्थान राज्य के प्रमुख मंदिरों एवं तीर्थ स्थलों के संबंध में जनहितार्थ सामग्री का प्रकाशन-प्रसारण एवं अभिलेखों का संग्रहण करना एवं तीर्थाटन व देशाटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- राजकीय मंदिरों (धर्मस्थानों) एवं धर्मार्थ पुण्यार्थ संस्थानों की संपदाओं के अतिक्रमियों को बेदखल करना एवं **राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964** के प्रावधानों की क्रियान्विति।
- राजकीय मंदिरों (धर्मस्थानों), धर्मार्थ एवं पुण्यार्थ संस्थानों की श्रेणी का निर्धारण।

यहाँ उल्लेखनीय है कि मंदिरों एवं धर्मस्थलों की प्रकृति व श्रेणी अलग-अलग प्रकार की हो सकती है, जिनमें देवस्थान विभाग के द्वारा प्रत्यक्षतः केवल राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार (Direct Charge), राजकीय आत्म निर्भर (Self-Supporting) एवं सुपुर्दगी (Handed Over) श्रेणी के मंदिरों एवं धार्मिक संस्थानों की संपदाओं का प्रबन्ध एवं नियंत्रण व पूजा, नैवेद्य, आरोगण, उत्सव आदि की व्यवस्था की जाती है।

राज्य में विद्यमान विभिन्न श्रेणी के मंदिरों का विवरण

क्रम सं.	मंदिर	विवरण
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर	विलीनीकरण के पश्चात वर्तमान राज्य शासन को उत्तरदायित्व में प्राप्त हुये मन्दिर, जिनकी परिसम्पतियों का सीधा प्रबंधन एवं नियंत्रण देवस्थान विभाग के द्वारा किया जाता है।
2	राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मंदिर	विलीनीकरण के पश्चात वर्तमान राज्य शासन को उत्तरदायित्व में प्राप्त हुये मन्दिर, जिनकी परिसम्पतियों के प्रबंधन हेतु देवस्थान विभाग के द्वारा उनके पुजारियों को अधिकृत किया गया है।
3	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मंदिर	सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिरों के प्रबंध एवं सम्पति के रख-रखाव का दायित्व संबंधित सुपुर्दगार का होता है। इनमें सुपुर्दगार के रूप में कुछ मंदिर प्रन्यास के अधीन श्रेणी के मंदिर भी हैं। इसके अन्तर्गत मुख्यतः दो प्रकार के मंदिर हैं:- 1. पूर्व देशी राज्यों के शासकों द्वारा विभिन्न पण्डितों/महन्तों/गोस्वामियों/विद्वानों एवं संस्थाओं को सेवा पूजा एवं सम्पति की देखभाल हेतु सुपुर्द किये गये मन्दिर 2. देवस्थान विभाग द्वारा कालान्तर में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों को सुपुर्द किये गये मन्दिर
4	राजकीय सहायता प्राप्त मंदिर	विलीनीकरण के पूर्व रियासतों द्वारा मन्दिरों की सेवा-पूजा धूप-दीप नैवेद्य आदि के लिये स्वीकृत की गई सहायता राशि /सहायता अनुदान का परम्परागत वार्षिक भुगतान वाले मंदिर।
5	वार्षिकी (एन्यूइटी) प्राप्त मंदिर	मन्दिरों/मठों की जागीरों के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप जागीर विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिकी (एन्यूटी) वाले मंदिर।
6	मंदिर मंडल अधिनियम के अंतर्गत मंदिर	ऐसे मंदिर जिनके लिए पृथक से विशेष मंदिर मण्डल अधिनियम बनाये गये हैं। ऐसे मंदिरों की संख्या केवल दो है:- 1. श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान 2. साँवलिया जी मंदिर, चितौडगढ़, राजस्थान
7	प्रन्यास के अधीन मंदिर	राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित प्रन्यासों (ट्रस्टों) के अधीन मंदिर। इनमें कुछ मंदिर सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिर भी हैं।
8	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान माफी/कृषि भूमि वाले अपंजीकृत/पंजीकृत मंदिर	राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे मंदिर भी हैं जो न तो देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष रूप से अधीन है और न ही देवस्थान विभाग में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रन्यासों (ट्रस्टों) के अधीन हैं। इनके प्रबंधन हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2009 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित हैं।
9	निजी मंदिर	ऐसे मंदिर जो कालान्तर में निजी रूप में बनवाये गये हैं।
10	अन्य मंदिर	ऐसे मंदिर जो विभिन्न सार्वजनिक भूमियों पर निर्मित हैं, किन्तु उनका और उनकी भूमि पर उनके स्वामित्व का कोई स्पष्ट या वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

विभाग के पर्यवेक्षणाधीन/अनुदानित मंदिर, प्रन्यास, धर्मशालायें व परिसंपत्तियाँ निम्नानुसार हैं-

देवस्थान विभाग के पर्यवेक्षणाधीन/अनुदानित मंदिर, प्रन्यास, धर्मशालायें व परिसंपत्तियाँ				
क्रम सं.	**मंदिर/ संपदा/संस्था**	**संख्या**	**राजस्थान राज्य में स्थित**	**राज्य से बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित**
A	**मंदिर**			
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर	390	365	25
2	राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मंदिर	203	187	16
3	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मंदिर	343	305	38
4	राजकीय सहायता प्राप्त मंदिर	10009	9935	74
5	वार्षिकी (एन्यूटी) प्राप्त मंदिर	48466	48466	
6	मंदिर मंडल अधिनियम के अंतर्गत मंदिर	2	2	
	योग	**59413**	**59260**	**153**
B	**किराये योग्य संपदा/भवन**			
1	किराये योग्य संपदा/भवन (आवासीय)	625	544	81
2	किराये योग्य संपदा/भवन (व्यावसायिक)	1608	1498	110
3	किराये योग्य संपदा/भवन (राजकीय)	45	45	0
4	अन्य	3	3	
	योग	**2281**	**2090**	**191**
C	**धर्मशालायें**	17	11	6
D	**पंजीकृत प्रन्यास**	9066	9066	0

भाग— 02

देवस्थान विभाग की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था

शासन स्तर		
क्रम	**नाम**	**पद**
1.	श्री विश्वेन्द्र सिंह	माननीय मंत्री, देवस्थान विभाग एवं पर्यटन विभाग
2.	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	माननीय राज्यमंत्री, देवस्थान विभाग एवं पर्यटन विभाग
3.	श्री राघवेन्द्र पारीक	निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय
4.	श्री मातादीन मीणा	विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय
5.	श्री आलोक गुप्ता	शासन सचिव
6.	श्री कर्ण सिंह गोठवाल	संयुक्त शासन सचिव
7.	रिक्त	शासन उप सचिव
8.	श्री कमल मीना 'सादर'	सहायक शासन सचिव
9.	श्री गौतम बनर्जी	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)
10.	श्री चन्द्र प्रकाश कटारिया	अनुभाग अधिकारी
विभागाध्यक्ष स्तर		
1.	श्री कृष्ण कुणाल	आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर
2.	श्री दिनेश कोठारी	अतिरिक्त आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर
3.	श्री सुनील मत्तड़	उपायुक्त, देवस्थान, उदयपुर
4.	श्री संजय सिंह	वित्तीय सलाहकार, देवस्थान, उदयपुर
5.	डॉ. प्रियंका भट्ट	सहायक आयुक्त(मुख्यालय), उदयपुर
6.	श्रीमती सीमा माहेश्वरी	उपविधि परामर्शी,देवस्थान, उदयपुर
7.	रिक्त	तहसीलदार
8.	श्री महेन्द्र सिंह सीमार	लेखाधिकारी, देवस्थान, उदयपुर (आदेश दिनांक 26.06.2018 से उक्त पद को शासन सचिवालय, जयपुर कर दिया गया है)
9.	श्री अभय कुमार मेहता	लेखाधिकारी, देवस्थान, उदयपुर
10.	रिक्त	प्रोग्रामर
11.	श्री विवेक विजय	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, देवस्थान, उदयपुर
12.	श्री भगवती लाल निमावत	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, देवस्थान, उदयपुर
13.	श्री गौतम सिंह	सहायक अभियन्ता(मुख्यालय), उदयपुर
14.	श्री देवकृष्ण जोशी	अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त देवस्थान

सहायक आयुक्त कार्यालय (संभाग/जिला स्तरीय) अधिकारी			
क्रम	**नाम**	**सहायक आयुक्त कार्यालय**	**अधीनस्थ जिले**
1.	श्री राजीव पाण्डे	सहायक आयुक्त, जयपुर(प्रथम)	जयपुर एवं दौसा
2.	श्री महेन्द्र देवतवाल	सहायक आयुक्त, जयपुर (द्वितीय)	सीकर, झुन्झुनु, अलवर
3.	श्रीमती ऋचा गर्ग	सहायक आयुक्त, बीकानेर	बीकानेर, चुरू
4.	श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल	सहायक आयुक्त, कोटा	कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां
5.	श्री जतिन कुमार गांधी	सहायक आयुक्त, उदयपुर	उदयपुर (तहसील खेरवाड़ा व ऋषभेदव के अतिरिक्त) चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद,

6.	श्री जतिन कुमार गांधी (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आयुक्त, ऋषभदेव	उदयपुर (तहसली खेरवाड़ा व ऋषभेदव), डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र स्थित विभागीय मन्दिर व सम्पदाएं
7.	श्री ओम प्रकाश पालीवाल	सहायक आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, सिरौही, जैसलमेर
8.	श्री गौरव सोनी	सहायक आयुक्त, अजमेर	अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा
9.	श्री गिरीश बच्चानी (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आयुक्त, भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली
10.	श्री गिरीश बच्चानी	सहायक आयुक्त, वृन्दावन	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं दिल्ली राज्यों में स्थित विभागीय मन्दिर एवं सम्पदाएं
11.	श्री ओम प्रकाश पालीवाल (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़
12.	सुश्री दीपिका मेघवाल	सहायक आयुक्त	

राज्य सेवा में संवर्गवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

(दिनांक 31.12.2018 तक)

क्र.सं.	नाम पद	संवर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	वि0 वि0
1.	आयुक्त	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1	1	0	
2.	अतिरिक्त आयुक्त	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	1	1	0	
3.	वित्तीय सलाहकार	राजस्थान लेखा सेवा	1	1	0	
4.	उप विधि परामर्शी	राजस्थान विधि सेवा	1	0	1	
5.	उपायुक्त	राजस्थान देवस्थान सेवा	1	1	0	
6.	सहायक आयुक्त	राजस्थान देवस्थान राज्य सेवा	12	10	2	
7.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	राजस्थान तकनीकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेवा	1	0	1	
8.	प्रोग्रामर	राजस्थान तकनीकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेवा	1	0	1	
9.	अतिरिक्त निजी सचिव सचिव, (मुख्यालय)	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा	1	1	0	
10.	तहसीलदार	राजस्थान तहसीलदार सेवा	1	0	1	
11.	लेखाधिकारी	राजस्थान लेखा सेवा	2	2	0	
12.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	1	1	0	
13	निरीक्षक प्रथम श्रेणी	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	15	2	13	

14	निरीक्षक द्वितीय श्रेणी	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	21	17	4	
15	प्रशासनिक अधिकारी	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा	1	0	1	
16	अति. प्रशासनिक अधिकारी	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा	3	1	2	
16	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा	11	8	3	
17	शीघ्र लिपिक	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा	2	0	2	
18	वरिष्ठ सहायक	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा	23	19	4	
19	कनिष्ठ सहायक	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा	29	20	9	
20	सहायक लेखाधिकारी-II	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	14	10	4	
21	सहायक अभियन्ता	राजस्थान राज्य तकनीकी सेवा	1	0	1	
22	कनिष्ठ अभियन्ता	राजस्थान अधीनस्थ तकनीकी सेवा	1	0	1	
23	कनिष्ठ लेखाकार	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	4	4	0	
24	कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्थान अधीनस्थ विधिक सेवा	3	3	0	
25	भू अभिलेख निरीक्षक	राजस्व अधीनस्थ सेवा	1	0	1	
26	पटवारी	राजस्व अधीनस्थ सेवा	2	0	2	
27	मैनेजर प्रथम श्रेणी	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	11	1	10	
28	मैनेजर द्वितीय श्रेणी	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	14	4	10	
29	पुजारी	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	94	26	68	
30	सेवागीर	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	144	64	80	
31	जमादार	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा	4	1	3	
32	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा	51	30	21	
	योग :-		**473**	**228**	**245**	

निधि सेवा में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति
(दिनांक 31.12.2018 तक)

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	वेतन श्रृंखला	
					पे बैण्ड	ग्रेड पे
1	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1	3080-90-3980-110-6180	
2	फोर्स अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी	2	0	2	2750-90-3650-110-5850	
3	मुंतजिम/प्रभारी अधिकारी	2	0	2	2750-90-3650-110-5850	
4	क0 प्रारूपकार	1	1	0	5200-20200	2800
5	निधि लिपिक	36	22	14	5200-20200	2400
6	वाहन चालक	3	3	0	5200-20200	2400
7	हवलदार/जमादार/ दरोगा/ गुमाश्ता	3	3	0	5200-20200	1900
8	सिपाही	66	46	20	5200-20200	1700
9	प्रबंधक	13	6	7	5200-20200	1900
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	9	4	5200-20200	1700
11	पुजारी	12	6	6	5200-20200	1700
12	मुखिया	15	4	11	5200-20200	1700
13	अन्यः- हवलदार, जमादार, दरोगा, मुखिया, सेवागीर, छड़ीदार, फर्राश, सईस, स्नानघर पर, चौकीदार, प्रहरी, हरिजन, गोटेदार, बागबान	56	30	26	5200-20200	1700
	योगः-	**223**	**130**	**93**		

जिला स्तर निरीक्षक कार्यालय		
1.	निरीक्षक, देवस्थान	अलवर
2.	निरीक्षक, देवस्थान	करौली
3.	निरीक्षक, देवस्थान	धौलपुर
4.	निरीक्षक, देवस्थान	बून्दी
5.	निरीक्षक, देवस्थान	बांसवाड़ा

भाग— 3

देवस्थान विभाग से सम्बंधित प्रमुख नियम/अधिनियम

Major Acts & Rules Related to Devasthan Department

क्र.सं.	अधिनियम व नियम
विभाग से सम्बंधित सामान्य अधिनियम व नियम	
1	सहायता अनुदान नियम, 1958
	Grant in Aid Rules, 1958
2	राजस्थान देवस्थान निधि सेवा नियम, 1959
	Rajasthan Fund Service Rules 1959
3	राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम, 2015
	Rajasthan Nidhi Budget and Account Rules, 2015
4	राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959
	Rajasthan Public Trust Act 1959
5	राजस्थान लोक न्यास नियम, 1962
	Rajasthan Public Trust Rules 1962
6	राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2000
	Rajasthan Devasthan State and Subordinate Service Rules, 2000
7	राजस्थान मंदिर व धार्मिक एवं दातव्य संस्था अनुदान नियम, 2010
	Rajasthan Grant In Aid to Temples And Other Religious and Charitable Institution Rules, 2010
मंदिर विशेष से सम्बंधित अधिनियम व नियम	
1	नाथद्वारा मंदिर मण्डल अधिनियम, 1959
	Nathdwara Temple Board Act 1959
2	नाथद्वारा मंदिर मण्डल नियम, 1973
	Nathdwara Temple Board Rules, 1973
3	सांवलिया जी मंदिर मण्डल नियम, 1991
	Sanwariaji Temple Board Rules, 1991
4	सांवलिया जी मंदिर मण्डल अधिनियम , 1992
	Sanwariaji Temple Board Act, 1992

अन्य सामान्य अधिनियम व नियम	
1	राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964
	Rajasthan Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1964
2	राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) नियम, 1966
	Rajasthan Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1966
3	देवस्था विभाग से संबंधित मन्दिरों के जेवर, सोना, चांदी, जेवरात व सोना चांदी के बर्तनों की सुरक्षा नियम, 1970
	Rules for Security of Jewellery Golden, Silver ornaments and Untensil of the Temple releted to Devasthan Department, 1970
भारत सरकार के न्यास व धर्मस्थल से सम्बंधित प्रमुख अधिनियम और नियम*	
1	The Religious Endowments Act, 1863
2	The Charitable Endowments Act, 1890
3	The Indian Trusts Act, 1882
4	The Charitable and Religious Trusts Act, 1920
	* संदर्भार्थ

नीतियाँ			
क्र.सं.	**नीति**	**दिनांक**	**पत्र क्रमांक**
1	खनन नीति	18.04.2000	प 07(16)देव/1991/4 दिनांक 18.4.2000
2	किराया नीति	06.06.2000	प 07(32)देव/1998/4 दिनांक 6.6.2000

अन्य प्रावधान			
क्र.सं.	**नीति**	**दिनांक**	**पत्र क्रमांक**
1	मन्दिर सुर्पुदगी सम्बन्धी प्रावधान	11.09.1997	
2	अपना धाम-अपना काम-अपना नाम योजना	2008	

भाग— 4

देवस्थान विभाग का बजट प्रावधान और विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण

वर्ष 2015-16 से वर्ष2017-18 में बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति:-

राज्य योजना मद

(राशि लाखों मे)

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
	आवंटन राशि	व्यय राशि	आवंटन राशि	व्यय राशि	आवंटन राशि	व्यय राशि
मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्य	1506.66	816.93	660.48	539.39	1982.49	618.88
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना	1550.00	1421.68	1500.00	1499.70	3200.00	2908.91
कैलाश मान सरोवर तीर्थ यात्रा योजना	100.00	99.91	100.00	93.00	110.00	76.00
ट्रस्ट मंदिर सहायता योजना	0.00	0.00	2058.56	1458.56	768.75	734.27
योग :-	**3156.66**	**2338.52**	**4319.04**	**3590.65**	**6061.24**	**4338.06**

वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

राज्य आयोजना मद

(राशि लाखों मे)

क्र.सं.		बजट शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय राशि दिसम्बर 2018 तक	प्रयोजन
1	1	4250-00-800--03--(00)-72 (विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य)	122.84	4.59	निर्माण एवं विकास कार्य हेतु
2		4250-00-796--(03) (00) 72 (टीएसपी क्षेत्र के मन्दिर के जीर्णोद्धार विकास कार्य विभाग के माध्यम से)	18.99	0.00	
3	2	4250-00-800--(02) (90) उपमद-	188.25	174.89	

		17 पीडब्ल्युडी के माध्यम से तीर्थ यात्रियों के लिए वृहद निर्माण कार्य			
4		4250.00.796-(03)(00)-PWD TSP	0.01	0.00	
5	3	2250 - ट्रस्ट सहायता TSP	324.00	0.00	
6		2250-00-800-03 (सहायता अनुदान)	315.11	183.00	
7	4	2250-00-800-02-01(Non TSP) वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2250-00-796-01-01(TSP) 2250-00-789-02-01(SCSP)	1600.00	454.91	तीर्थ यात्रा योजना हेतु
8	5	2250-00-800-02-02(Non TSP) 2250-00-796-03-01(TSP) 2250-00-789-01-01(SCSP) कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना	110.00	68.00	
		योग -	**2679.20**	**885.39**	

वित्तीय राशि आवंटन एवं व्यय का विवरण
वर्ष 2015-16 से 18-19 तक
सूचना- दिसम्बर 2018 तक

(राशि लाखों में)

	आवंटन				व्यय			
क्र. सं.	**वर्ष**	**निर्माण**	**अन्य योजना**	**योग**	**वर्ष**	**निर्माण**	**अन्य योजना**	**योग**
1	**2015-16**	1506.66	1650.00	3156.66	**2015-16**	816.93	1521.59	2338.52
2	**2016-17**	2719.04	1600.00	4319.04	**2016-17**	1997.95	1592.70	3590.65
3	**2017-18**	2751.24	3310.00	6061.24	**2017-18**	1353.15	2984.91	4338.06
4	**2018-19**	969.20	1710.00	2679.20	**दिसम्बर 2018 तक**	362.48	522.91	885.39
	योग	**7946.14**	**8270.00**	**16216.14**	**योग**	**4530.51**	**6622.11**	**11152.62**

राज्यमद (योजना) एवं राज्य मद के अन्तर्गत वर्ष 2015-16से 2018-19तक बजट प्रावधान एवं व्यय राशि का विवरण:-

राज्यमद (योजना)

क्र.सं.	वर्ष	बजट शीर्ष	प्रावधित राशि रुपये लाखों में	व्यय राशि रुपये लाखों में	विशेष विवरण
1	2015-16	2250-00-800-02- 024250-00-800-02-90 4250-00-796-04-00 4250-00-800-02-01	1506.66	816.93	मन्दिर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार एवं श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विकास कार्य
2		2250-00-800-02-01	1550.00	1421.68	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के संचालन हेतु
3		2250-00-800-02-02	100.00	99.91	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना
4	2016-17	4250-00-800-03-00 4250-00-800-02-90 4250-00-796-04-00 4250-00-796-03-90	660.48	539.39	मन्दिर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार एवं श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विकास कार्य
5		2250-00-800-03-00	1500.00	1000.00	श्री डिग्गी कल्याण जी, श्री पुष्कर, श्री खाटूश्यामजी, श्री मेहन्दीपुर बाला जी विकास कार्यों हेतु सहायता अनुदान ।
6		2250-00-796-02-01	458.56	458.56	बैणेश्वर धाम विकास कार्यों हेतु सहायता अनुदान ।
7		2250-00-800-02-02	1500.00	1499.70	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के संचालन हेतु
8		2250-00-800-02-02	100.00	93.00	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना
9	2017 -18	4250-00-800-03-00 4250-00-800-02-90 4250-00-796-04-00 4250-00-796-03-90	1982.59	618.88	मन्दिर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार एवं श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विकास कार्य
10		2250-00-800-03-00 (ट्रस्ट मंदिरों को सहायता)	518.75	484.27	श्री डिग्गी कल्याण, श्री पुष्कर, श्री खाटू श्याम जी, श्री मेहन्दीपुर बालाजी विकास कार्य हेतु सहायता अनुदान
11		2250-00-796-02-01 (ट्रस्ट मंदिरों को सहायता, टी.एस.पी.)	250.00	250.00	श्री बेणेश्वर धाम विकास कार्य हेतु सहायता अनुदान

12		2250-00-800-02-01	3200.00	2908.91	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के संचालन हेतु
13		2250-00-800-02-02	110.00	76.00	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना
14	2018 -19	4250-00-800-03-00 4250-00-800-02-90 4250-00-796-04-00 4250-00-796-03-90	330.09	179.48	मन्दिर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार एवं श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विकास कार्य (दिसम्बर 2018 तक)
15		2250-00-800-03-00(ट्रस्ट मंदिरों को सहायता)	315.11	183.00	ट्रस्ट मंदिरों केविकास कार्य हेतु सहायता अनुदान (दिसम्बर 2018 तक
16		2250-00-796-02-01 (ट्रस्ट मंदिरों को सहायता, टी.एस.पी.)	324.00	00.00	श्री बेणेश्वर धाम विकास कार्य हेतु सहायता अनुदान (दिसम्बर 2018 तक
17		2250-00-800-02-01	1600.00	454.91	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के संचालन हेतु(दिसम्बर 2018 तक
18		2250-00-800-02-02	110.00	68.00	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना (दिसम्बर 2018 तक

राज्यमद

क्र.सं.	वर्ष	बजट शीर्ष	प्रावधित राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2015-16	2250 **राज्यमद**	1426.88	1343.94	कार्मिकों के वेतन भत्ते मन्दिर संस्कृति एवं अनुरक्षण व्यय
		3604 एन्यूटी	33.41	10.97	वेतन भत्ते एवं एन्यूटी भुगतान
2	2016-17	2250 **राज्यमद**	1487.10	1044.16	कार्मिकों के वेतन भत्ते मन्दिर संस्कृति एवं अनुरक्षण व्यय
		3604 एन्यूटी	19.51	3.21	वेतन भत्ते एवं एन्यूटी भुगतान
3	2017-18	2250 **राज्यमद**	1732.10	1580.55	कार्मिकों के वेतन भत्ते मन्दिर संस्कृति एवं अनुरक्षण व्यय
		3604 एन्यूटी	19.52	11.31	वेतन भत्ते एवं एन्यूटी भुगतान
4	2018-19	2250 **राज्यमद**	2105.30	1427.32	कार्मिकों के वेतन भत्ते मन्दिर संस्कृति एवं अनुरक्षण व्यय(31.12.2018तक)
		3604 एन्यूटी	20.72	5.68	वेतन भत्ते एवं एन्यूटी भुगतान 31.12.2018तक)

निधिमद

(राशि लाखों मे)

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	आवंटन राशि	व्यय राशि	आवंटन राशि	व्यय राशि	आवंटन राशि	व्यय राशि	आवंटन राशि	व्यय (राशि दिस.18 तक
मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्य	2552.54	739.00	764.69	613.63	1969.93	1160.00	702.00	600.00

बजट घोषणायें

Budget Announcements of Devasthan Department

क्र .सं.	बजट पैरा	बजट वर्ष	बजट घोषणा
1.	54.0.0	2015-2016	गत वर्ष स्वीकृत किये गये कार्यों को जारी रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 20 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न मंदिरों की मरम्मत जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।
2.	343.0.0	2015-2016	इस वर्ष मंदिर श्री रूपनारायण जी, सेवन्त्री-राजसमन्द, श्री बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर, श्री गोटिया अम्बा महादेवजी-बांसवाड़ा, श्री मातृ कुण्डिया-चित्तौड़गढ, श्री चौथमाता मंदिर-सवाई माधोपुर, श्री बिहारी जी मंदिर-भरतपुर, श्री डिग्गी कल्याणजी-मालपुरा, श्री राजकलेश्वर- टोंक, तीर्थगुरू पुष्कर राज-अजमेर, बूढ़ा पुष्कर, श्री रामदेवरा-जैसलमेर, श्री केशवराय-केशवरायपाटन, श्री झरनेश्वर महादेव, श्री नागणेचा-बाड़मेर, श्री नागणेचा मंदिर-बीकानेर में जीर्णोद्धार और विकास कार्य किए जायेंगे।
3.	60.0.0	2016-2017	प्रदेश के 12 प्रमुख धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों- खाटू श्यामजी-सीकर, डिग्गी मालपुरा-टोंक, चौथमाता का बरवाड़ा- सवाईमाधोपुर, मातृकुण्डिया-चित्तौड़गढ़, मेंहदीपुर बालाजी-करौली, बेणेश्वरधाम-डूंगरपुर, रामदेवरा लुधरवा-जैसलमेर, सालासर हनुमानजी-चूरू, पुष्कर एवं बुढ़ा पुष्कर-अजमेर, रूपनारायणजी मंदिर, चारभुजाजी मंदिर-राजसमन्द तथा मगरा मेरवाड़ा के क्षेत्र का विकास 35 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध रूप से करवाया जायेगा।
4.	61.0.0	2016-2017	राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं अन्य विकास कार्य हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
5.	69.0.0	2017-2018	बिहारी जी का मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर, केशवराय मंदिर, केशवरायपाटन-बूँदी एवं सूर्य मंदिर झालरापाटन- झालावाड़ में 20 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य करवाये जायेंगे।
6.	70.01.0	2017-2018	आगामी वर्ष इस योजना के तहत 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जायेगी, जिनमें से 5 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जायेगी।

7.	71.0.0	2017-2018	राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार के 40 मंदिरों के लिए भोगराग हेतु 36 हजार रुपये वार्षिक तथा 350 मंदिरों हेतु प्रति मंदिर एक हजार 200 रुपये वार्षिक का प्रावधान है। आगामी वर्ष में इस राशि को बढ़ाकर दुगुना किया जायेगा।
8.	72.0.0	2017-2018	बनारस-उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट के पास स्थित महादेव मंदिर एवं कुंड, जो अलवर मंदिर के नाम से विख्यात है, के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत का कार्य एक करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
9.	73.0.0	2017-2018	उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्रीराधा माधव जी मंदिर, जो जयपुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना का शताब्दी वर्ष मई 2017 में धूमधाम से मनाया जायेगा। इस उपलक्ष्य में मंदिर के सौंदर्यकरण, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा ।
10.	74.0.0	2017-2018	राज्य सरकार तिरुपति बालाजी तथा बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व को देखते हुए वहाँ पर धर्मशालाओं की व्यवस्था करवायेगी।
11.	193.0.0	2018-2019	गत वर्षों में प्रारम्भ किये गये मंदिर व धार्मिक स्थलों के विकास कार्यो को प्राथमिकता से पूरा करवाते हुए वर्ष 2018.19 में श्री विजवा माता मंदिर डूंगरपुरए श्री लोहार्गल तीर्थ झून्झूनु और मुरली मनोहर जी तथा रघुनाथ जी मंदिर रतनगढ चूरू के विकास हेतु 10.00 करोड का प्रावधान किया गया हैं।
12.	196.0.0	2018-2019	लम्बे समय से मंदिर माफी से जुडे हुए विभिन्न विषयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठन किए जाने की घोषणा।
13.	328.0.0	2018-2019	राज्य में मंदिर माफी के संबंध में स्पष्ट किराया व विकास नीति नहीं होने से उनका आवश्यकता अनुरूप वैधानिक उपयोग नहीं हो पाता हैं एवं इससे इनका समुचित विकास नहीं हो पाता हैं। इस संबंध में बेहतर आय संवर्धन उपयोग करने हेतु समुचित किराये नीति निर्धारित करने की घोषणा की गई हैं।

राज्यमद (योजना) एवं राज्य मद के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक बजट प्रावधान एवं

व्यय राशि का विवरण:-

राज्यमद (योजना)

क्र.सं.	वर्ष	बजट शीर्ष	प्रावधित राशि रुपये लाखों में	व्यय राशि रुपये लाखों म	विशेष विवरण
1	2015-16	2250-00-800-02-024250-00-800-02-90 4250-00-796-04-00 4250-00-800-02-01	1506.66	816.93	मन्दिर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार एवं श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विकास कार्य
2		2250-00-800-02-01	1550.00	1421.68	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के संचालन हेतु
3		2250-00-800-02-02	100.00	99.91	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना
4	2016-17	4250-00-800-03-00 4250-00-800-02-90 4250-00-796-04-00 4250-00-796-03-90	660.48	539.39	मन्दिर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार एवं श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विकास कार्य
5		2250-00-800-03-00	1500.00	1000.00	श्री डिग्गी कल्याण जी, श्री पुष्कर, श्री खाटूश्यामजी, श्री मेहन्दीपुर बाला जी विकास कार्यों हेतु सहायता अनुदान ।
6		2250-00-796-02-01	458.56	458.56	बैणेश्वर धाम विकास कार्यों हेतु सहायता अनुदान ।
7		2250-00-800-02-02	1500.00	1499.70	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के संचालन हेतु
8		2250-00-800-02-02	100.00	93.00	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना
9	2017 -18	4250-00-800-03-00 4250-00-800-02-90 4250-00-796-04-00 4250-00-796-03-90	1982.59	618.88	मन्दिर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार एवं श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विकास कार्य

10		2250-00-800-03-00 (ट्रस्ट मंदिरों को सहायता)	518.75	484.27	श्री डिग्गी कल्याण, श्री पुष्कर, श्री खाटू श्याम जी, श्री मेहन्दीपुर बालाजी विकास कार्य हेतु सहायता अनुदान
11		2250-00-796-02-01 (ट्रस्ट मंदिरों को सहायता, टी.एस.पी.)	250.00	250.00	श्री बेणेश्वर धाम विकास कार्य हेतु सहायता अनुदान
12		2250-00-800-02-01	3200.00	2908.91	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के संचालन हेतु
13		2250-00-800-02-02	110.00	76.00	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना
14	2018 -19	4250-00-800-03-00 4250-00-800-02-90 4250-00-796-04-00 4250-00-796-03-90	330.09	179.27	मन्दिर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार एवं श्रद्धालुओं की सुविधार्थ विकास कार्य (दिसम्बर 2018 तक)
15		2250-00-800-03-00 (ट्रस्ट मंदिरों को सहायता)	639.11	182.99	ट्रस्ट मंदिरों केविकास कार्य हेतु सहायता अनुदान (दिसम्बर 2018 तक
16		2250-00-796-02-01 (ट्रस्ट मंदिरों को सहायता, टी.एस.पी.)	324.00	00.00	श्री बेणेश्वर धाम विकास कार्य हेतु सहायता अनुदान (दिसम्बर 2018 तक
17		2250-00-800-02-01	1600.00	454.91	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के संचालन हेतु(दिसम्बर 2018 तक
18		2250-00-800-02-02	110.00	68.00	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना (दिसम्बर 2018 तक

अराजकीय मन्दिरों की मुआवजा राशि हेतु पृथक से निजी निक्षेप खाता:-

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम,1959 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक मन्दिर लोक न्यास की परिभाषा में आने से अधिनियम की धारा 37 के तहत आयुक्त, देवस्थान को राजस्थान राज्य में स्थित समस्त पुण्यार्थ संस्थाओं के कोषाध्यक्ष की शक्तियां प्रदत्त होने से विभाग में जमा 5044.06 लाख रुपये दिनांक 31.12.2018 तक अराजकीय मन्दिरों की भूमि अवाप्ति के फलस्वरूप प्राप्त मुआवजा राशि पर प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु पृथक से कोषालय उदयपुर में निजी निक्षेप खाता वित्त विभाग(मार्गोपाय अनुभाग) के आदेश क्रमांक प. 8(7)वि.मा/2008 दिनांक 5.4.2012 की अनुपालना में नवीन रूप से खुलवाया जाकर संधारित किया जा रहा है।

आयोजना मद के अन्तर्गत राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु आयोजना मद में 3.30 करोड के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य:-

आयोजना मद के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में स्वीकृत बजट राशि रू. 3.30 करोड़ के विरूद्ध (वर्ष 2018-19) में 38 विकास कार्य चल रहे है। इसके अतिरिक्त राज्य के 11 चयनित प्रमुख मंदिरों में विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य हेतु पीडीकोर द्वारा चयनित कंसलटेंसी फर्म द्वारा मास्टर प्लान तैयार कर लिए गए है। इनमें से 6 मंदिरों की डीपीआर तैयार करने हेतु कन्सलटेंसी फर्म से अनुबन्ध निष्पादन किए जाकर कार्यादेश जारी किये गए हैं। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड द्वारा निम्न 6 मंदिरों के प्रथम चरण में कराये जाने वाले विकास कार्यों हेतु 24.90 करोड़ राज्य मद एवं 5.20 करोड़ निधि मद से स्वीकृति जारी की गयी है-

क्र.सं.	मंदिर नाम	विकास की अनुमानित लागत (राशि करोड़ों में) प्रथम चरण
1.	मंदिर श्री बेणेश्वर धाम	4.90 (राज्य मद)
2.	मंदिर श्री खाटू श्याम	5.00 (राज्य मद)
3.	मंदिर श्री डिग्गी कल्याण	5.00 (राज्य मद)
4.	मंदिर श्री पुष्कर एवं बूढ़ा पुष्कर	5.00 (राज्य मद)
5.	मंदिर श्री मेहन्दीपुर बालाजी	5.00 (राज्य मद)
6.	मंदिर श्री चारभुजा गढ़बोर	5.20 (निधि मद)

390 राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में पूजा-अर्चना हेतु वर्ष 2018-19 में 270 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 203 आत्म निर्भर मंदिरों की पूजा अर्चना के लिए 120 लाख रुपये का संयुक्त निधि कोष से व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्य योजना मद में 330.09 लाख रुपये, राज्य मद में 20.00 लाख रुपये एवं संयुक्त निधि मद में 534.69 लाख रुपये की लागत के 5 कार्य स्वीकृत किये गए हैं।

विभागीय संयुक्त निधि मद से वर्ष 2017-18 में स्वीकृत मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं संधारण तथा नया निर्माण का विवरण जो वर्तमान में प्रगतिरत है।

क्र.सं.	नाम मंदिर	शासन की स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	मंदिर श्री रूपनारायण जी ,सेवंत्री	प.3(15)देव/2014 जयपुर दिनांक 18.4.2017	545.00
2.	श्री बिहारी जी, भरतपुर	प.4(4)देव/2017 जयपुर दिनांक 23.5.2017	1030.18
3.	श्री सूर्य मंदिर, झालावाड.	प.3(15)देव/2014 जयपुर दिनांक 18.4.2017	85.52
4.	श्री गंगा मंदिर, भरतपुर	प.3(15)देव/2014 जयपुर दिनांक 18.4.2017	186.06
5.	श्री लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर	प.3(15)देव/2014 जयपुर दिनांक 18.4.2017	123.17
		योग-	**1969.93**

विभागीय बजट की विगत 3 वर्षों की राजस्व प्राप्ति की तुलनात्मक स्थिति:-

(लाखों में)

मद	आवंटित लक्ष्य वर्ष 2015-16	राजस्व प्राप्ति वर्ष 2015-16	आवंटित लक्ष्य वर्ष 2016-17	राजस्व प्राप्ति वर्ष 2016-17	आवंटित लक्ष्य वर्ष 2017-18	राजस्व प्राप्ति वर्ष 2017-18	आवंटित लक्ष्य वर्ष 2018-19	राजस्व प्राप्ति वर्ष 2018-19 31.12.18
राजकीय	282.00	166.17	294.00	267.68	325.00	284.65	341.00	232.98
संयुक्त निधि	1230.00	731.10	989.00	890.14	1088.00	1085.59	1194.94	866.70

राजस्व संग्रहण की स्थिति:-

विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में राजस्व की प्राप्ति निम्नानुसार की गई है:-

राशि (लाखों में)

मद	वर्ष 2018-19	
	आवंटित लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति (31-12-2018 तक)
राजकीय	341.00	232.98
संयुक्त निधि	1194.94	866.70

देवस्थान विभाग की विनियोजित राशि :-

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों की आय मय ब्याज राशि एवं मंदिरों की मुआवजा राशि जो प्राप्त हुई है, उसका विनियोजन माह 12/2018 तक का निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विवरण	जमा राशि (लाखों में)
1	राजकीय कोषालय निजी निक्षेप ब्याज खाता 1029	5524.58
2	राजकीय कोषालय निजी निक्षेप ब्याज खाता **(मुआवजा राशि)** ब्याज सहित 5644	5044.06
3	राजकीय कोषालय निजी निक्षेप बिना ब्याज खाता 1014	5.06

नोट- देवस्थान विभाग को ऑनलाइन दान सहयोग राशि प्राप्त करने हेतु पृथक से बैंक एकाउंट खोलने की अनुमति के बाद यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है

भाग— 5

निर्माण कार्य

जिलावार देवस्थान विभागके माध्यम से तीर्थ स्थलों व मंदिरों के विकास पर विहित कुल राशि
(स्वीकृत व प्रस्तावित मिला कर)
वर्ष 2018-2019
(दिनांक- 31-12-2018तक की सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	मंदिर	स्थान, जिला	कुल विकास राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4
1.	मंदिर श्री ब्रह्मा जी पुष्कर पुष्कर	अजमेर	500.00
2.	दूधालेश्वर महादेव मंदिर	अजमेर	240.00
3.	धूनी गाजी का मंदिर	अजमेर	6.00
4.	झांक माता के मंदिर	अजमेर	15.00
5.	श्यामगढ माता मंदिर	अजमेर	15.00
6.	देवी जी का मंदिर	अजमेर	15.00
7.	साडू माता मंदिर	अजमेर	15.00
8.	मन्दिर श्री डाढ देवी माताजी	कोटा	18.00
9.	मन्दिर श्री करणी माता जी आमेड़ा	कोटा	15.00
10.	मन्दिर श्री दाउ जी सूरजपोल	कोटा	6.00
11.	मन्दिर श्री सूर्य नारायण जी	कोटा	8.10
12.	मंदिर श्रीमंगलेश्वर महादेव जी, मातृ कुण्डिया	चित्तौड़गढ	19.50 सांवलियां मंदिर मण्डल
13.	मंदिर श्री सालासर बालाजी	चूरू	27.10 पर्यटन विभाग
14.	मन्दिर श्री आनन्द बिहारी जी बड़ी चौपड़	जयपुर	5.00
15.	मन्दिर श्री जगतेश्वर जी, जौहरी बाजार	जयपुर	9.00
16.	मन्दिर श्री कल्कि जी सिरह डयोढी	जयपुर	9.00
17.	मन्दिर श्री चन्द्रेश्वर जी सिरहडयोढी	जयपुर	7.00
18.	मंदिर श्री रामदेव जी रामदेवरा	जैसलमेर	57.64 मास्टर प्लान तैयार
19.	मन्दिर श्री गिरधारी जी	जैसलमेर	15.00
20.	मन्दिर श्री भुवनेश्वर महादेव मन्दिर आडा बाजार	जोधपुर	5.40
21.	मन्दिर श्री राजरणछोड़ जी	जोधपुर	6.70
22.	मन्दिर श्री जसवन्त सराय	जोधपुर	8.90

23.	मन्दिर श्री जाडेची जी भवन	जोधपुर	9.00
24.	मन्दिर श्री ज्वालामुखी जी पचेटिया हिल्स	जोधपुर	10.00
25.	मंदिर श्री पीपाजी, गागरोन	झालावाड	184.00
26.	मंदिर श्री क्यासरा जी	झालावाड	180.00
27.	मंदिर श्री द्वारकाधीश , झालरापाटन , झालावाड	झालावाड	160.50
28.	मन्दिर श्री राम जी सुनैल	झालावाड	6.00
29.	मंदिर श्री झरनेश्वर महादेव जी	झालावाड़	60.00
30.	श्री सूर्य मंदिर झालरापाटन,	झालावाड़	85.85
31.	मंदिर श्री डिग्गी कल्याण जी, मालपुरा,	टोंक	500.00
32.	मंदिर श्री राजकालेश्वर जी	टोंक	371.14
33.	मंदिर श्री बेणेश्वर धाम	डूंगरपुर	1133.68
34.	मन्दिर श्री वनेश्वर महादेव जी	डूंगरपुर	10.00
35.	मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी घुघरा	डूंगरपुर	8.00
36.	मंदिर श्री मेंहदीपुर बाला जी	दौसा	500.00
37.	मंदिर श्री धारेश्वर	पाली	10.00
38.	मंदिर श्री देवनारायण	पाली	10.00
39.	मंदिर श्री नागनेच्या माता	पाली	10.00
40.	मंदिर श्री केशरिया कवर जी	पाली	10.00
41.	मंदिर श्री मुण्डागर माता जी	पाली	20.00
42.	मंदिर श्री कोलिय महादेव	पाली	35.00
43.	मंदिर श्री मुण्डागर माता जी	पाली	20.00
44.	मंदिर श्री रामदेव जी	पाली	50..0
45.	मंदिर श्री रामदेव जी एवं अलख नाथ जी	पाली	18.45
46.	मंदिर श्री माता जी	पाली	16.55
47.	मंदिर श्री देवनारायण रामदेव जी एवं अलख नाथ जी मंदिर	पाली	27.50
48.	मंदिर श्री नीलकण्ठ महादेव	पाली	28.50
49.	मंदिर श्री प्रभुदास जी	पाली	50.00
50.	मंदिर श्री काजलवास	पाली	50.00
51.	मंदिर श्री वायड भैरू जी	पाली	50.00
52.	मंदिर श्री कोटडा जी	पाली	40.00
53.	मन्दिर श्री विजय राघव जी	प्रतापगढ़	9.09

54.	मंदिर श्री गोटिया अम्बा महादेव जी	बांसवाड़ा	267.92
55.	मंदिर श्री त्रिपुरासुंदरी जी	बांसवाड़ा	33.50
56.	मंदिर श्री नागणेचा माता जी	बाड़मेर	208.00
57.	मन्दिर श्री गोवर्धन नाथ जी अंता	बारां	10.00
58.	मंदिर श्री नागणेचा माता जी	बीकानेर	139.25 (20.00 लिफ्ट कार्य)
59.	मंदिर श्री लक्ष्मी नाथ जी	बीकानेर	100.00
60.	मन्दिर श्री रघुनाथ जी नया कुआं	बीकानेर	25.00
61.	मन्दिर श्री रघुनाथ जी (ख्वास जी-जेठा जी)	बीकानेर	20.00
62.	मन्दिर श्री डूंगरेश्वर जी महादेव जी कोलायत	बीकानेर	9.00
63.	मन्दिर श्री रतन प्रतिपालेश्वर जी कोलायत	बीकानेर	10.00
64.	मन्दिर श्री देवगिरि जी समाधि गजनेर	बीकानेर	6.00
65.	मंदिर श्री केशवराय जी केशवरायपाटन,	बूँदी	547.00
66.	मंदिर श्री बिहारी जी	भरतपुर	1019.98
67.	मंदिर श्री गंगा जी	भरतपुर	186.41
68.	मंदिर श्री लक्ष्मण जी	भरतपुर	124.75
69.	मन्दिर श्री मांजी सा का नया मन्दिर आसीन्द बावड़ी	भीलवाड़ा	10.00
70.	मन्दिर श्री दुलेगोपाल जी आसीन्द	भीलवाड़ा	10.00
71.	मंदिर श्री चारभुजा जी गढबोर	राजसमंद	574.64
72.	दादा देवराज मंदिर	राजसमंद	24.61
73.	पीपलाज माता जी मंदिर	राजसमंद	46.14
74.	माता जी कुण्ड	राजसमंद	5.00
75.	मंदिर श्री रूपनारायण जी सेवन्त्री	राजसमन्द	326.00
76.	धंधेश्वरधाम, गंगापुर सिटी	सवाई माधोपुर	00.00
77.	मंदिर श्री चौथ माता जी चौथ का बरवाडा	सवाई माधोपुर	28.00
78.	मंदिर श्री खाटू श्याम जी	सीकर	521.14 पर्यटन विभाग
79.	मंदिर श्री गोगा जी (गोगामेड़ी) नोहर	हनुमानगढ़	2527.00
80.	मन्दिर श्री लल्ली स्मारक बाग भुवाली	नैनीताल	6.44
81.	मन्दिर श्री कुशल बिहारी जी बरसाना	मथुरा	23.00

82.	श्री महादेव मंदिर मणिकर्णिका	वाराणसी	100.00
83.	श्री राधामाधव मंदिर	वृंदावन	50.00
84.	मन्दिर श्री राधा माघव जी (जयपुर मन्दिर)	वृन्दावन	20.00
85.	मंदिर श्री कृष्णाय माता जी किशनगढ	बारां	52.00
86.	श्री लोहार्गल तीर्थ स्थल	झुन्झुनू	200.00
87.	मंदिर श्री मंगलेश्वर जी मगरदा नदी के समीप	बांसवाडा	181.60
88.	मंदिर श्री गंगा जी गंगोत्री	उत्तराखण्ड़	30.00
89.	फतह मेमोरियल सराय	उदयपुर	5.00
90.	मंदिर श्री रसीक बिहारी जी	जोधपुर	6.70
91.	मंदिर श्री बलदेव परशुराम जी	जयपुर	17.41
92.	मंदिर श्री करणी माता जी	चुरू	35.00
93.	मंदिर भैरू जी रतनगढ	चुरू	35.00
94.	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण	चुरू	5.00
95.	मंदिर श्री रघुनाथ जी	चुरू	75.00
96.	मंदिर श्री मुरली मनोहर जी	चुरू	25.00
97.	मंदिर श्री शनिमहाराज	चित्तौडगढ	50.00
98.	मंदिर श्री सिद्धि विनायक	बांसवाडा	25.00
99.	मंदिर श्री जोगणिया माता जी	बांसवाडा	10.00
100.	मंदिर श्री नागणेची जी पचपदरा (द्वितीय चरण)	बाडमेर	225.00
101.	मंदिर श्री निम्बेश्वर महादेव	पाली	100.00
102.	मंदिर श्री नकलल महादेव	झालावाड	39.00
103.	मंदिर श्री घुश्मेश्वर महादेव	स.माधोपुर	50.00
104.	मंदिर श्री बालकानन्द आश्रम	टोंक	100.00
105.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 100 मंदिरों में दान पात्र	-	20.00

देवस्थान विभाग का आधुनिकीकरण

राजस्थान राज्य के प्रमुख मंदिरों एवं तीर्थ स्थलों से संबंधित सूचनाये देशी विदेशी पर्यटकों, एवं श्रद्धालुओं तक पहुंचाने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा तैयार वेबसाइट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर अद्यतन की जाती है। इस वर्ष इसे नया रूप देते हुए अधिकांश सूचनाओं को ऑनलाइन किया गया है. इसके साथ ही ई- के रूप में विभिन्न प्रक्रियाओं का ऑनलाईन अंकन एवं उनकी प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	कार्य/सुविधा
1	विभागीय पोर्टल का नवीन प्रारूप
2	विभिन्न विभागीय योजनाओं नीतियों/नियमों, अभिलेखों की सरल जानकारी की सुविधा
3	विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन एवं उसकी प्रोसेसिंग की सुविधा
4	मंदिरों की जी.आई.एस. मैपिंग
5	विभाग के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने एवं बनाए गए मास्टर प्लान को अपलोड करने की सुविधा
6	जनसामान्य से दान/सहयोग की राशि ऑनलाईन लिये जाने की सुविधा
7	विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेलों/उत्सवों एवं कार्यक्रमों के कैलेण्डर के रूप में दर्ज किये जाने एवं प्रदर्शित किये जाने की सुविधा
8	न्यायिक प्रकरणों के अपडेशन एवं निस्तारण हेतु सुविधा
9	मंदिरों के सम्पदा रजिस्टर, इन्वेन्टरी रजिस्टर की स्कैनिंग
10	मंदिरों में विद्यमान विभिन्न सामग्री एवं बहुमूल्य आभूषणों के इन्वेन्टरी मैनेजमेंट की सुविधा
11	ट्रस्टों के अभिलेखों की स्कैनिंग
12	ट्रस्टों के द्वारा सबमिट की जाने वाली नियमित सूचनाओं को प्रपत्र के रूप में दर्ज किये जाने एवं अपलोड किये जाने की सुविधा
13	जिलेवार तहसीलों से प्राप्त मंदिर माफ़ी और डोली भूमि के अभिलेखों की स्कैनिंग
14	मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के महंतों/पुजारियों का समुचित डाटाबेस संधारित करने की व्यवस्था

भाग—6

देवस्थान विभाग द्वारा संचालित तीर्थ यात्रा योजनायें

क्र.सं.	योजना का नाम	तीर्थयात्रा हेतु अनुदान राशि	यात्रियों की सीमा
1	कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा योजना	कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पर रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रूपये) प्रति यात्री की सहायता।	100
2	सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा योजना	यात्रा पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10,000/- प्रति तीर्थयात्री तक	200
3	वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना	वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थस्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा (चयनित 17 तीर्थ स्थलों की यात्रा)	10500 प्रस्तावित

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2018

1	**योजना का नाम**	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
2	**योजना प्रारंभ वर्ष**	2013 (2016 से हवाई यात्रा को सम्मिलित करते हुये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के नाम से)
3	**योजना का उद्देश्य व संक्षिप्त विवरण**	इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।
4	**तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि**	स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन तथा निर्धारित यात्रा का व्यय वहन ।
5	**योजना में कुल लाभार्थियों की विभागीय सीमा**	3000 रेलमार्ग से। 7500 वायुयान से इसमें देवस्थान विभाग द्वारा तीर्थ स्थल हेतु आवेदकों की संख्या तथा यात्रा की संभाव्यता के आधार पर उक्त संख्या तथा अनुपात में परिवर्तन किया जा सकेगा।
6	**तीर्थ स्थानों की सूची**	यात्रा हेतु तीर्थ स्थान इस प्रकार है :— रेल द्वारा :—

1. जगन्नाथपुरी 2. रामेश्वरम 3. तिरूपति, 4. द्वारकापुरी 5, वैष्णोदवी

हवाई जहाज द्वारा :–

क्र. सं.	तीर्थ स्थान का नाम	यात्रा
1	रामेश्वरम–मीनाक्षी मंदिर, मदुरई	मदुरई तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
2	तिरूपति–श्रीपुरम लक्ष्मी स्वर्ण मंदिर, वेल्लोर तथा कांचीपुरम	तिरूपति या वेल्लोर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा।
3	जगन्नाथपुरी–लिंगराज मंदिर– कोणार्क सूर्य मंदिर	भुवनेश्वर तक हवाई जहाज द्वारा अागे बस द्वारा यात्रा ।
4	वैष्णो देवी	जम्मू तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा ।
5	द्वारकापुरी–सोमनाथ(त्रिवेणी–पांच पाण्डव गुफा)/नागेश्वर	जामनगर/राजकोट/केशोड तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा।
6	प्रयाग (इलाहबाद)–चित्रकूट–वाराण सी(काशी)– सारनाथ	इलाहबाद/वाराणसी तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा ।
7	बिहार शरीफ(नालंदा)–राजगीर–गया –बोध–गया–पटना साहिब	गया या पटना तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा ।
8	अमृतसर– आनन्दपुर साहिब	अमृतसर तक हवाई जहाज द्वारा, आगे बस द्वारा यात्रा
9	श्रवणबेलगोला– मैसूर	मैसूर/बंगलोर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा
10	सम्मेद शिखर–गया–बोध गया/पटना–पावापुरी–कुण्ड लपुर (वैशाली)	रांची,पटना या गया तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा ।
11	गोवा	गोवा तक हवाई जहाज
12	शिरडी–शनि सिंगनापुर–त्रयम्बकेश्वर–घृष्णे श्वर, अजन्ता–एलोरा	मुम्बई/औरंगाबाद/ शिरडी तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
13	कामाख्या–गुवाहाटी(राज्य संग्रहालय, कलाक्षेत्र)	गुवाहाटी तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा ।
14	उज्जैन(महाकालेश्वर, काल भैरव मंदिर,हरसिद्धि, नवग्रह मंदिर)ओंकारेश्वर	इंदौर तक हवाइ जहाज आगे बस द्वारा यात्रा।
15	हरिद्वार–ऋषिकेश–मसूरी–देहरादून	देहरादून तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा।

		16	कोच्चि,त्रिशूर, श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, गुरूवायुर	कोच्ची/मदुरई तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा ।
		17	लखनऊ– अयोध्या	लखनऊ तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा

नोटः– उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा और स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा।

हवाई यात्रा में कुछ दूर तक बस द्वारा यात्रा भी की जायेगी, तीर्थ यात्रा हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल भी विज्ञप्ति में वर्णित होगें।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में यात्रा का संक्षिप्त विवरण

वर्ष	रेल (यात्री सं0)	हवाई जहाज (यात्री सं0)	योग	तीर्थ स्थलों की संख्या	कुल व्यय (लाख में)
2015-16	8710	0	8710	7	1421.68
2016-17	8207	762	8969	11	1499.70
2017-18	11312	4416	15728	13	2908.91
2018-19 (12/2018 तक)	1952	1379	3331	17	454.91

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2018-19

- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 में ई/मित्र-ऑनलाइन के माध्यम से कुल आवेदन 37092 प्राप्त हुए, इनमें से जिला कलेक्टर स्तर पर लॉटरी के माध्यम से 10500 यात्रियों का चयन किया गया। जिनमें से 7500 यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से तथा 3000 को रेल के माध्यम से यात्रा कराई जायेगी। प्रथम तीर्थ यात्री गाड़ी दिनांक 18-9-2018 को जयपुर से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई, प्रथम हवाई यात्रा 2.8.2018 को जयपुर से वैष्णोदेवी के लिये रवाना हुई ।

- गंतव्य स्थल अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2018 के अन्तर्गत दिसम्बर तक करायी गई रेल यात्रा का विवरण।

ट्रेन नं.	**कहाँ से**	**कहाँ तक**	**बोर्डिंग स्टेशन**	**दिनांक**	**यात्री सं0**
1	जयपुर	रामेश्वरम्	जयपुर-सवाई माधोपुर-कोटा	18-9-2018	1079
2	जयपुर	जगन्नाथपुरी	जयपुर-सवाई माधोपुर-कोटा	18.12.2018	873
					1952

- योजनान्तर्गत दिसम्बर 2018 तक 9 तीर्थ स्थलों पर हवाई जहाज से 1379 आवेदकों को यात्रा पर ले जाया जा चुका है।
- विगत वर्ष में 15000 आवेदकों को रेल से तथा 5000 आवेदकों को हवाई जहाज से यात्रा का प्रावधान रखा गया था, जिसमें वर्ष 2018-19 में हवाई जहाज से यात्रा पर जाने वाले आवेदकों की संख्या बढाकर 7500 कर दी गई। साथ ही गत वर्षो की तुलना में वर्ष 2018-19 में यात्रा हेतु निर्धारित 13 तीर्थ स्थलों के स्थान पर 17 तीर्थ स्थलों को चयनित किया गया। उक्त तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त उनके आस-पास के मुख्य दर्शनीय स्थलों पर ले जाया जाना भी निश्चित किया गया। इस यात्रा योजना में यह एक मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहा है।

कैलाश मानसरोवर योजना -

1	**योजना का नाम**	कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु श्रद्धालुओं को सहायता
2	**योजना प्रारंभ वर्ष**	1 अप्रेल 2011 से
3	**योजना का उद्देश्य व संक्षिप्त विवरण**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न करने वाले राजस्थान के स्थायी मूल निवासियों को श्रद्धालुओं को रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रूपये) प्रति यात्री की सहायता।
4	**तीर्थयात्रा हेतु अनुदान राशि**	रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रूपये) प्रति यात्री की सहायता।
5	**योजना की शर्ते/पात्रता**	(1) इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी मूल निवासियों को ही देय होगा। (2) कैलाश मानसरोवर की यात्रा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जानी होगी एवं (3) यात्रा समाप्ति के पश्चात विदेश मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न किये जाने का प्रमाणीकरण संलग्न किया जाना होगा। (4) जीवन काल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।
6	**आवेदन की प्रक्रिया**	1. कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु आवेदन की प्रक्रिया विदेश मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से संपादित की जायेगी। 2. अनुदान हेतु आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन होगी, जिसकी तिथि विभागीय विज्ञप्ति अनुसार घोषित की जायेगी। सहायता अनुदान हेतु आवेदन-पत्र वांछित दस्तावेज सहित यात्रा करने के दो माह के अन्दर जमा कराना होगा। 3. ऑफलाइन की स्थिति में सहायता अनुदान हेतु आवेदन-पत्र विभागीय वेबसाईट से अपलोड कर सहायक आयुक्त कार्यालय देवस्थान विभाग में जमा कराना होगा। 4. यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी **(कम्प्यूटराईज्ड ड्रा आफ लाट्स)** द्वारा यात्रियों का चयन किया जा सकेगा.
7	**चयन व आवंटन की पक्रिया**	कैलाश मानसरोवर की विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से यात्रा करने वाले श्रद्धालु यात्रा समाप्ति के दो माह के अन्दर अपना आवेदन संबंधित उपखण्ड अधिकारी/सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के कार्यालय में मय मूल दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुतकर्ता अधिकरी संलग्न दस्तावेजों को मूल से मिलान कर, सही पाये जाने पर, इस आशय का नोट अंकित करेंगे। उपखण्ड अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को 15 दिवस के अन्दर संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को अग्रेषित करेंगे, जो 15 दिवस में बाद जांच स्वीकृति जारी करेंगे।

सिन्धु दर्शन यात्रा योजना

1	**योजना का नाम**	सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा
2	**योजना प्रारंभ वर्ष**	1 अप्रेल, 2016 से
3	**योजना का उद्देश्य व संक्षिप्त विवरण**	भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थयात्रा पर जाने वाला तीर्थयात्री को सहायता
4	**तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि**	यात्रा पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10,000/- प्रति तीर्थयात्री तक
5	**योजना में कुल लाभर्थियों की विभागीय सीमा**	200 तीर्थयात्री तीर्थयात्रा हेतु अधिक आवेदक होने पर लाटरी द्वारा चयन
6	**योजना की शर्ते/पात्रता**	(1) तीर्थयात्री राजस्थान का मूल निवासी हो। (2) उम्र 60 वर्ष से कम न हो। (3) भिक्षावृति पर जीवन यापन करने वाला न हो। (4) आयकरदाता न हो। (5) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी नहीं हो। (6) यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी0बी0, कांजिस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्तता, Coronary thrombosis मानसिक व्याधि,संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। **नोटः-** देवस्थान विभाग, राजस्थान द्वारा चयनित व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।
7	**आवेदन की प्रक्रिया**	आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन होगी, जिसकी तिथि विभागीय विज्ञप्ति अनुसार घोषित की जायेगी। सहायता अनुदान हेतु आवेदन-पत्र वांछित दस्तावेज सहित यात्रा करने के दो माह के अन्दर जमा कराना होगा। ऑफलाइन की स्थिति में सहायता अनुदान हेतु आवेदन-पत्र विभागीय वेबसाईट से अपलोड कर सहायक आयुक्त कार्यालय देवस्थान विभाग में जमा कराना होगा।
8	**आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज**	1. राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति। 2. जन्म प्रमाण-पत्र 3. आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/ भामशाह कार्ड की फोटो प्रति। 4. लद्दाख स्थित सरकारी विभाग/समाज का रजिस्टर्ड ट्रस्ट या गठित कमेटी का सत्यापित प्रमाण-पत्र।

9	**चयन व आवंटन की पक्रिया**	(1) राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जिन्हें देवस्थान विभाग द्वारा चयनित व्यक्ति की सूची में स्थान पाते हुए उनके द्वारा लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हें यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र (टिकट, रसीदें इत्यादि) प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10,000/- प्रति तीर्थ यात्री तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी। (2) अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित आनलाइन/संबंधित सहायक आयुक्त को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा। (3) निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं दस्तावेजों का सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा परीक्षण कर पात्र यात्रियों के आवेदन पत्र मय सूची आयुक्त, देवस्थान कार्यालय उदयपुर को भिजवाये जायेंगे। (4) यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी **(कम्प्यूटराईज्ड ड्रा आफ लाट्स)** द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा। (5) लाटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा कर ली हो) को एक मानते हुए लाटरी निकाली जायेगी एवं लाटरी में चयन होने पर दोनों अनुदान के पात्र होंगे।

वर्षवार कैलाष मानसरोवर योजना तथा सिंधु दर्षन योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राशि लाखों में)

वर्ष	कैलाष मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना		सिंधु दर्षन तीर्थ यात्रा योजना	
	लाभान्वितों की संख्या	व्यय राषि (आर्थिक सहायता राषि का भुगतान)	लाभान्वितों की संख्या	व्यय राषि (आर्थिक सहायता राषि का भुगतान)
2015–16	100	99.90	-	-
2016–17	93	93.00	-	-
2017–18	76	76.00	3	0.30
2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)	68	68.00	-	-

भाग—7

देवस्थान विभाग द्वारा मेलों एवं कार्यक्रमों का आयोजन

मंदिर संस्कृति पुर्नजीवन :-

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों तथा विभिन्न सार्वजनिक मंदिरों में मंदिर परम्परा अनुसार उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया है। इसके अतिरिक्त नव संवत्सर, नवरात्र, वसन्तोसव, बेणेश्वर मेला, महाशिवरात्रि, होली, ऋषभदेव जन्मोत्सव, वैशाख पूर्णिमा, पाटोत्सव, जन्माष्टमी आदि पर्वों पर विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित करवाये जाते हैं।

5. धार्मिक मेलों का आयोजन :-

विभाग द्वारा आलौच्य वर्ष में राजकीय मंदिरों में होने वाले उत्सवों, जयंतियों एवं मेलों की परंपरा को निरन्तर बनाये रखने के विशेष प्रयास किये गये हैं। विभाग द्वारा मुख्यतया निम्न राजकीय मंदिरों में प्रतिवर्ष स्थायी रूप से बड़े स्तर पर मेलों का आयोजन किया जाता हैः-

1. मंदिर श्री गोगाजी, गोगामेड़ी, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मंदिर श्री केलादेवीजी, झीलकावाड़ा, भरतपुर।
3. मंदिर श्री ऋषभदेवजी, धूलेव, जिला उदयपुर।
4. मंदिर श्री माताजी मावलियान, आमेर, जिला जयपुर।
5. मंदिर श्री चारभुजा जी, गढ़बोर, जिला राजसमन्द।
6. मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव मातृकुडिया, तहसील राषमी जिला चित्तोडगढ़।
7. मन्दिर श्री भद्रकाली, हनुमानगढ़।
8. मन्दिर श्री घोटिया अम्बा जी, बांसवाडा।

उपरोक्त मंदिरों के अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित छोटे-बड़े मंदिरों में एवं सार्वजनिक प्रन्यासों में भी मेले आयोजित होते हैं तथा उनकी व्यवस्था स्थानीय ग्राम पंचायत/नगरपालिका अथवा श्रद्धालु नागरिकों एवं प्रन्यासों द्वारा अपने स्तर पर की जाती है। देवस्थान विभाग द्वारा मंदिरों एवं तीर्थस्थलों पर आयोजित होने वाले प्रमुख उत्सवों, मेलों, एवं पर्वों का तिथिवार एक सूचना कैलेण्डर भी तैयार किया गया है ।

वर्ष में प्रदेश अल्पवृष्टि के लिये मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों में कराये गये धार्मिक अनुष्ठानः-

आलोच्य वर्ष में प्रदेश में सातों संभाग में 36 शिव मन्दिर में श्रावण माह के चारों सोमवार को रुद्राभिषेक कराया गया। इस हेतु कुल 12.60 लाख रुपये एवं 30 मंदिरों में जन्माष्टमी कार्यक्रम हेतु कुल राशि रूपये 12.00 लाख स्वीकृत किये गये।

क्र. सं.	कार्यक्रम	अवधि	कुल मंदिर	स्वीकृत राशि
1	रुद्राभिषेक कार्यक्रम	श्रावण मास के चार सोमवारों (दिनांकः 30.7.2018 , 6.8.2018 13.8.2018 व 20 अगस्त , 2018) व प्रदोष (22 अगस्त 2018) को	**36**	12,60,000/- (प्रत्येक मंदिर 35000)
2	जन्माष्टमी कार्यक्रम	3 सितम्बर 2018	**30**	12,00,000/ (प्रत्येक मंदिर 40,000)

भाग— 8

विभागीय संपदाओं का प्रबंध एवं अनुरक्षण

1. अचल संपदा का प्रबंध :-

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित मन्दिरों को प्रबंध एवं नियंत्रण की दृष्टि से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

मंदिर एवं संस्थान	संख्या
राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर एवं संस्थान	390
राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर एवं संस्थान	203
राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिर	343
	936

उपरोक्त श्रेणियों में से राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 एवं राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 कुल 593 मंदिरों एवं संस्थानों का सीधा प्रबन्ध एवं रख-रखाव देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। सुपुर्दगी श्रेणी के 401 मंदिरों में से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(23)देव/94 जयपुर दिनांक 29.9.08 द्वारा 58 मंदिरों की राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत प्रन्यास पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने से राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.14(17)देव/82 दिनांक 29.1.97 द्वारा प्रसारित सूची में से विलोपित किया गया है।

2. राज्य के बाहर स्थित मंदिर एवं संपदायें :-

राजस्थान राज्य के बाहर देवस्थान विभाग के प्रबंध एवं नियंत्रणाधीन मंदिर एवं संपदाएं प्रमुख तीर्थ स्थलों पर स्थित हैं। विभागीय मंदिर एवं उनके साथ संलग्न संपदाएं उत्तर प्रदेश राज्य में वृन्दावन, मथुरा, सोरो, गोवर्धन, राधाकुण्ड बरसाना,बनारस आदि स्थानों पर स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार, भुवाली (नैनीताल) एवं उत्तर काशी, घराली, गंगोत्री में, गुजरात राज्य में द्वारिका एवं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद एवं अमरावती में तथा नई दिल्ली में स्थित हैं।

3. किराया प्रकरणों का निस्तारण :-

विभागीय मंदिरों की संपदाओं में आवासीय एवं व्यावसायिक **2052** किरायेदार हैं। इन किरायेदारों के किराया प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा किराया नीति दिनांक 6.6.2000 बनाई हुई है।

देवस्थान विभाग के अंतर्गत किराए योग्य परिसंपत्तियाँ

Rental Properties of Devasthan Department

(2018-19)

(वर्गीकरण - जिला / श्रेणी वार)

क्र. सं.	जिला	परिसंपत्ति															वार्षिक आय*
		कुल			आवासीय			व्यावसायिक			राजकीय			अन्य			
		कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	
1	अजमेर	7	7	0	0	0	0	07	07	0	0	0	0	0	0	0	205500
2	अलवर	32	23	09	18	16	2	13	6	7	1	1	0	0	0	0	239400
3	बांसवाड़ा	16	16	0	1	1	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	266460
4	बारां	24	19	05	2	2	0	22	17	5	0	0	0	0	0	0	503004
5	बाड़मेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	भरतपुर	464	452	12	190	187	3	273	263	10	1	1	0	0	0	0	5526936
7	भीलवाड़ा	37	32	05	0	0	0	37	32	5	0	0	0	0	0	0	140988
8	बीकानेर	164	159	05	22	22	0	140	135	5	2	2	0	0	0	0	1137792
9	बूंदी	60	51	09	9	8	1	47	42	5	1	1	0	3	0	3	860268
10	चित्तौड़गढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	चुरु	12	12	0	0	0	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	688800
12	दौसा	16	14	02	0	0	0	16	14	2	0	0	0	0	0	0	33768
13	धौलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	डूंगरपुर	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	14556
15	हनुमानगढ़	3	2	01	0	0	0	03	02	01	0	0	0	0	0	0	29832
16	जयपुर	344	320	24	95	93	02	234	212	22	15	15	0	0	0	0	11221164
17	जैसलमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	जालौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	झालावाड़	48	40	08	05	02	03	43	38	05	0	0	0	0	0	0	948216
20	झुंझुनू	10	04	06	03	01	02	06	02	04	01	01	0	0	0	0	247140
21	जोधपुर	367	334	33	99	96	03	258	228	30	10	10	0	0	0	0	7019820
22	करौली	34	33	01	26	26	0	07	07	0	01	0	01	0	0	0	103140
23	कोटा	44	32	12	17	13	04	27	19	08	0	0	0	0	0	0	370488
24	नागौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पाली	09	09	0	0	0	0	09	09	0	0	0	0	0	0	0	46512
26	प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	राजसमंद	69	64	05	05	05	0	63	58	05	01	01	0	0	0	0	528120
28	सवाई	08	08	0	08	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22632

	माधोपुर																
29	सीकर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सिरोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	श्रीगंगानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	टोंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	उदयपुर	153	153	0	37	37	0	108	108	0	08	08	0	0	0	0	7046976
	ऋषभदेव	164	164	0	07	07	0	154	154	0	03	03	0	0	0	0	1818072
	योग	2090	1953	137	544	524	20	1498	1384	114	45	44	1	3	0	3	39019584

राजस्थान राज्य के बाहर स्थित परिसंपत्ति का विवरण

क्र. सं.	जिला	परिसंपत्ति															वार्षिक आय
		कुल			आवासीय			व्यावसायिक			राजकीय			अन्य			
		कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	
1	मथुरा	124	122	02	60	60	0	64	62	2	0	0	0	0	0	0	304032
2	उत्तरकाशी	30	30	0	04	04	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	180060
3	हरिद्वार	11	11	0	02	02	0	09	09	0	0	0	0	0	0	0	30432
4	वाराणसी	25	25	0	15	15	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	32136
5	द्वारिका	01	01	0	0	0	0	01	01	0	0	0	0	0	0	0	9972
	योग	191	189	02	81	81	0	110	108	2	0	0	0	0	0	0	556632

राजस्थान राज्य व राज्य के बाहर परिसंपत्ति का सम्मिलित विवरण																
राज्य	कुल			आवासीय			व्यावसायिक			राजकीय			अन्य			वार्षिक आय
	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	कुल	आवंटित	रिक्त	योग
राजस्थान राज्य	2090	1953	137	544	524	20	1498	1384	114	45	44	1	3	0	3	39019584
राज्य के बाहर	191	189	02	81	81	0	110	108	2	0	0	0	0	0	0	556632
महायोग	2281	2142	139	625	605	20	1608	1492	116	45	44	1	3	0	3	39576216

देवस्थान विभाग में खनन लीज की सूचना
(वर्ष 2018-19)

क्र.सं.	नाम जिला	नाम मंदिर	लीज हेतु कुल NOC धारक/ Non NOC धारक	वार्षिक आय
1	झालावाड	मंदिर श्री द्वारिकाधीशजी, झालरापाटन	6	44026
2	उदयपुर	मंदिर श्री ठाकुर जी श्याम सुन्दर जी, उदयपुर	24	1813348
3	उदयपुर	मंदिर श्री ऋषभदेवजी (रा.आ. निर्भर)	24	2536939
		योग	54	4394313

4. बहुमूल्य आभूषणों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन :-

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित विभागीय मंदिरों के बहुमूल्य आभूषणों की कुल संख्या 20,825 हैं। इन आभूषणों में से दस लाख रुपये से अधिक की चल संपदा वाले 52 मंदिरों के 17077 आभूषणों का भौतिक सत्यापन राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष अंकेक्षण दलों के माध्यम से करवाया जा चुका है। दस लाख रुपये से कम मूल्य की चल संपदा वाले मंदिरों के आभूषणों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन सहायक आयुक्त स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है।

भाग— 9

मंदिरों व धर्मस्थलों के लिए सहायता अनुदान तथा शाश्वत वार्षिकी का भुगतान

देवस्थान विभाग द्वारा अपने प्रबंधन व नियंत्रण से भिन्न मंदिरों व धर्मस्थलों के लिए भी सहायता अनुदान तथा शाश्वत वार्षिकी का भुगतान किया जाता है, जिसके मुख्यतः दो रूप हैं-

1. मंदिरों व संस्थानों को सहायता अनुदान :-

राजस्थान राज्य के पूर्व देशी रियासतों के शासकों द्वारा मंदिरों की सेवा पूजा, धूप-दीप, नैवेद्य आदि के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाता था। विलीनीकरण के पश्चात् इस उत्तरदायित्व का निर्वहन देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2018-19 के लिए विभागीय बजट में 15.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। अलग-अलग मंदिरों/संस्थाओं की सहायता अनुदान राशि अलग- अलग है. इस सूची में विभिन्न धर्मों व राज्यों के धर्मस्थल भी विद्यमान हैं.

वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा संख्या 191 के तहत की गई घोषणा की पालना के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक- प-3 (3) देव/2012 दिनांक 18.05.12 द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए गए थे-

बजट घोषणा संख्या 191.0.0 के अनुसार अनुदान सहायता प्राप्त मंदिरों को दी जानेवाली वार्षिक अनुदान राशि में दुगनी वृद्धि किए जाने के संबंध में वित्त विभाग में लेखा शीर्ष 2250- 00-102-(01)12(NP) में राशि रुपये 120.43 लाख (एक सौ बीस लाख तैयालीस हजार) का अतिरिक्त प्रावधान कर दिया है। अत: इसकी वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती है। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह इस राशि का प्रावधान अनुमान/ अनुपूरक मांग में सम्मिलित कर यथासमय प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे.

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग के अंतर्विभागीय सहमति क्रमांक 1012015 दिनांक 10.05.2012 के अंतर्गत जारी की गई।

2. शाश्वत वार्षिकी (Annuity) का भुगतानः-

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत 48,466 मंदिरों, मठों एवं धर्मस्थलों की जागीरों के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप जागीर विभाग द्वारा मंदिरों, धार्मिक स्थलों के पुजारियों/प्रबंधकों/महन्तों आदि के क्लेम का निस्तारण कर वार्षिकी **(Annuity)** का निर्धारण प्रपत्र 12 (क) में किया जाता है। जागीर विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिकी **(Annuity)** के भुगतान हेतु देवस्थान विभाग के बजट में राशि का प्रावधान स्वीकृत होता है। जागीर विभाग द्वारा स्वीकृत वार्षिकी **(Annuity)** के भुगतान हेतु देवस्थान विभाग द्वारा प्रपत्र 12 (ख) जारी

किया जाता है। संबंधित जिला कलक्टर/उप खण्ड अधिकारी/तहसीलदार के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है। इस सूची में विभिन्न धर्मों के धर्मस्थल भी विद्यमान हैं.

वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा संख्या-214 के तहत की गई घोषणा की पालना के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक- एफ-7(43) देव/2004/पार्ट दिनांक 12.12.2012 द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए गए थे-

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत शाश्वत वार्षिकी राशि प्राप्त ऐसे मंदिर एवं पूजा स्थल, जिन्हें वर्तमान में नकद सहायता अनुदान नियम, 1958 के तहत अनुदान राशि स्वीकृत नहीं है, को भी वित्तीय वर्ष 2012-13 से नकद सहायता अनुदान नियम, 1958 के नियम 7 (ए) के तहत आवर्ती प्रकृति की सहायता अनुदान राशि रुपये 1200/- वार्षिक प्रत्येक मंदिर एवं पूजा स्थल को दिए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। तदनुरूप ऐसे मंदिरों को भी न्यूनतम राशि 1200 रुपए प्रति वर्ष सहायता अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान किया जा चुका है.

सहायताअनुदान प्राप्त मंदिरों एवं शाश्वत वार्षिकी राशि प्राप्तमंदिरों के लियेस्वीकृत राशिएवंवितरित राशिका विवरण निम्नानुसार है- (राशि लाख रुपए)

वित्तीय वर्ष	सहायताअनुदान प्राप्तमंदिर		शाश्वत वार्षिकी राशि प्राप्त मंदिर	
	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
2015-16	38.00	14.12	50.00	7.67
2016-17	18.00	13.13	30.00	2.58
2017-18	15.00	13.78	15.00	7.38
2018-19 (31.12.2018 तक)	15.00	2.37	15.00	2.56

भाग— 10

सार्वजनिक प्रन्यासों का पंजीयन, पर्यवेक्षण एवं नियमन

राजस्थान राज्य में सार्वजनिक मंदिरों, मठों एवं अन्य धार्मिक व पुण्यार्थ संस्थानों का पंजीयन करने एवं उनके प्रशासन हेतु राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधान दिनांक 1-7-1962 से लागू किये गये हैं। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्रन्यासों के सर्वेक्षण, पंजीकरण, संपत्ति विनियोजन, लेखा नियंत्रण, अंकेक्षण तथा प्रन्यासों के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच के दायित्व का निर्वहन देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभाग के सहायक आयुक्तों को पंजीकरण एवं जाँच तथा लेखा नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। आयुक्त, देवस्थान विभाग, अधिनियम की धारा 37 के अनुसार राजस्थान राज्य में स्थित समस्त पुण्यार्थ न्यासों के कोषाध्यक्ष हैं तथा उन्हें अधिनियम की धारा 7 के तहत राजस्थान राज्य में स्थित समस्त धार्मिक एवं पुण्यार्थ लोक न्यासों के अधीक्षण की शक्तियाँ प्रदत्त है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने तथा सार्वजनिक प्रन्यासों के प्रशासन पर अधीक्षण करने का दायित्व आयुक्त देवस्थान को सौंपा गया है। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत दिनांक **31.12.2018** तक **9066** प्रन्यासों का पंजीयन सहायक आयुक्तों द्वारा किया जा चुका है। पंजीकृत प्रन्यासों की जिले एवं खण्डवार स्थिति निम्नानुसार है :-

पंजीकृत प्रन्यासों की खण्डवार स्थिति

क्र.सं.	संभाग	जिला	31.12.2017 तक कुल पंजीकृत प्रन्यास	दिनांक 1.1.2018 से 31.12.2018 तक नये पंजीकृत	31.12.2018 तक कुल पंजीकृत प्रन्यास
1	जयपुर (प्र0)	जयपुर	1822	50	1872
		दौसा	116	02	118
		योग	**1938**	**52**	**1990**
2	जयपुर (द्वि0)	झुन्झुनूं	173	1	174
		सीकर	232	8	240
		अलवर	331	13	344
		योग	**736**	**22**	**758**
3	भरतपुर	भरतपुर	367	2	369
		सवाई माधोपुर	129	0	129
		धौलपुर	59	1	60
		करौली	119	3	122
		योग	**674**	**6**	**680**

4	जोधपुर	जोधपुर	708	53	761
		पाली	392	5	397
		बाड़मेर	69	2	71
		जालौर	146	1	147
		सिरोही	252	2	254
		जैसलमेर	82	1	83
		योग	**1649**	**64**	**1713**
5	बीकानेर	बीकानेर	388	10	398
		चुरू	198	0	198
		योग	**586**	**10**	**596**
6	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	217	21	238
		हनुमानगढ़	186	11	197
		योग	**403**	**32**	**435**
7	उदयपुर	उदयपुर	787	38	825
		चित्तौड़गढ़	128	9	137
		प्रतापगढ़	47	1	48
		राजसमन्द	76	2	78
		योग	**1038**	**50**	**1088**
8	कोटा	कोटा	414	12	426
		बून्दी	149	2	151
		झालावाड़	97	3	100
		बारां	85	2	87
		योग	**745**	**19**	**764**
9	अजमेर	अजमेर	384	7	391
		नागौर	210	5	215
		टोंक	87	4	91
		भीलवाड़ा	157	4	161
		योग	**838**	**20**	**858**
10	ऋषभदेव	ऋषभदेव	24	1	25
		डूंगरपुर	69	1	70
		बांसवाड़ा	89	0	89
		योग	**182**	**2**	**184**
		महायोग	**8789**	**277**	**9066**

7. यात्रियों के लिये विश्राम स्थलों की व्यवस्था :-

राजस्थान राज्य एवं राज्य के बाहर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों एवं संस्थानों में संचालित निम्नांकित धर्मशालाओं, विश्रान्ति गृहों में यात्रियों के लिये ठहरने की सुविधा उपलब्ध हैः-

क्र.सं.	नाम संस्था	क्षमता कमरों की संख्या
1	होटल देव दर्शन (देवस्थान विश्रान्ति गृह), उदयपुर	62
2	सराय फतह मेमोरियल, उदयपुर	31
3	मांजी की सराय, पुराना स्टेशन रोड, उदयपुर	20
4	धर्मशाला ऋषभदेव, धुलेव तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर	154
5	धर्मशाला मंदिर श्री चारभुजा जी, गढ़बोर, जिला राजसमन्द	70
6	जसवन्त सराय, स्टेशन रोड़, जोधपुर	63
7	विश्राम गृह मंदिर श्री राधा माधव जी,(जयपुर मंदिर) वृन्दावन (उ0प्र0)	2
8	विश्राम गृह मंदिर श्री कुशल बिहारी जी, बरसाना, जिला मथुरा (उ0 प्र0)	10
9	धर्मशाला मंदिर श्री गंगाजी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	3
10	धर्मशाला मंदिर श्री एकादश रुद्र जी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)	3
11	धर्मशाला, जोधपुर (नवनिर्मित)	23
12	धर्मशाला, बीकानेर (नवनिर्मित)	23
13	धर्मशाला, गोगामेड़ी (नवनिर्मित)	20
14	धर्मशाला, जयपुर (नवनिर्मित)	23
15	धर्मशाला, धराली, उत्तराखण्ड (नवनिर्मित)	4 कमरे मय किचन बरामदा
16	धर्मशाला, द्वारका, गुजरात (नवनिर्मित)	4
17	धर्मशाला रूपनारायण जी, सेवंत्री (नवनिर्मित)	14

सम्पर्क सूत्र

शासन सचिवालय			
क्र0सं0	मंत्री महोदय/नाम अधिकारी	दूरभाष नं0 कार्यालय	ई- मेल आई.डी.
1.	श्री विश्वेन्द्र सिंह जी , केबीनेट मंत्री	0141-2227852 0141-5153222 EX -21262,21263	
2.	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा जी, राज्यमंत्री	0141-2227538 0141-5153222 EX -21271,21272	
3.	श्री आलोक गुप्ता IAS शासन सचिव	0141-2227587 0141-5153222 EX -21431	secretary.devasthan@rajasthan.gov.in

आयुक्त कार्यालय			
क्र0सं0	नाम अधिकारी	दूरभाष नं0 कार्यालय	ई- मेल आई.डी.
1.	श्री कृष्ण कुणाल, IAS आयुक्त देवस्थान, पंचवटी एम. जी. कॉलेज रोड उदयपुर - 313001राजस्थान	91 - 294 - 2426130, 2524813 **फैक्स नं.** 91 - 294 - 2423440	hq.dev@rajasthan.gov.in devasthan@hotmail.com devasthanrajasthan@gmail.com

सहायक आयुक्त कार्यालय

क्र.सं.	सहायक आयुक्त का मुख्यालय	कार्य-क्षेत्र (जिले एवं राज्य)	कार्यालय के दूरभाष नंबर	ई.मेल आई डी संख्या
1	सहायक आयुक्त, (मुख्यालय) उदयपुर	उदयपुर (मुख्यालय)	0294.2524813	devasthan@hotmail.com AC.UDAIPUR.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
2	सहायक आयुक्त (प्रथम), जयपुर	जयपुर एवं दौसा जिले	0141.2614404	acdevasthan_jpr@yahoo.co.in AC.JAIPUR1.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
3	सहायक आयुक्त (द्वितीय) जयपुर	सीकर, झुन्झुनूं एवं अलवर जिले।	0141.2611341	aciidevasthanjaipur@rocketmail.com AC.JAIPUR2.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
4	सहायक आयुक्त, भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करोली जिले।	05644.228405	devbhp405@gmail.com AC.BHARATPUR.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
5	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग,	जोधपुर,पाली,बाड़मेर, जालौर, सिरोही एवं	0291.2650361	devasthanjodhpur@yahoo.co.in devasthanjodhpur@gmail.com

	जोधपुर	जैसलमेर जिले।		AC.JODHPUR.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
6	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर	बीकानेर एवं चूरू जिले।	0151.2226711	devsthan_bkn09@yahoo.in AC.BIKANER.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
7	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, हनुमानगढ़	श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले	01552.230110	devsthanhmo@gmail.com AC.HANUMANGARH.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
8	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	उदयपुर, (तहसील खैरवाड़ा व ऋषभदेव को छोडकर) चितौड़गढ़ प्रतापगढ़ एवं राजसमंद जिले।	0294.2420546	acdev_udaipur@ymail.com AC.UDAIPUR.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
9	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा	कोटा, बूंदी, झालावाड एवं बारां जिले।	0744.2326031	1ac.kota@gmail.com AC.KOTA.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
10	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव, जिला उदयपुर	उदयपुर जिले की खैरवाडा व ऋषभदेव तहसीलें तथा डूंगरपुर और बांसवाडा जिले एवं गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यो में स्थित विभागीय मंदिर व संपदायें।	02907. 230023	devasthanrishabhdeo@yahoo.com AC.RISHBDEV.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
11	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर	अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा	0145.2625423	ajmdevasthan@yahoo.co.in AC.AJMER.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN
12	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं दिल्ली राज्यों में स्थित विभागीय मंदिर और संपदायें।	0565.2455146	radha_madhav08@yahoo.com AC.VRINDAVAN.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN